



## FIRE SAFETY CERTIFICATE

APPENDIX - XII

Dated: 23/01/25

Certified that the Kishori International School (name of the building or premises) at Pilani road, Chirawa, Distt - Jhunjhunu, Rajasthan - 333026 (address) comprised of ONE basement(s) and THREE AND FOUR (upper floors) owned/ occupied by Kishori International School, (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 02-12-2024 (date of inspection) in the presence of Vijay Singh, VPO Dev road, Chirawa, Distt - Jhunjhunu (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) With effect from 26-12-2024 for a period of ONE YEAR year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. NOC APPLICATION NO. LSH/CHIRAWA/FIRENOC/2024-25/41841
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 26-12-2024 (date of issue) at Chirawa (place) by

\*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: [Signature]

Name: ROHIT KUMAR MEEL

Designation: EXECUTIVE OFFICER

Name & Address of Department/ Office: Nagar Palika  
Chirawa, Jhunjhunu अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका चिड़ाक

To  
Kishori International School  
C/o Satyadev Shikshan Sansthan  
Pilani road, Chirawa,  
Distt-Jhunjhunu  
Rajasthan (333026)

(Name & Address of the Institution)

[Signature]  
Principal  
Kishori International School  
Chirawa(JJN)Raj.-333026

### ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.



# नगर पालिका, चिडावा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHIRAWA/FIRENOC/2024-25/41841  
जारी दिनांक: 26-DEC-2024 वैधता दिनांक: 25-DEC-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SANJAY KULHAR  
आवेदक का पता: VPO DEVROAD CHIRAWA

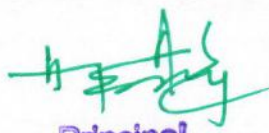
विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SATYADEV SHIKSHAN SANSTHAN, 1, PILANI ROAD, NEAR VIJAY GAS SERVICE, CHIRAWA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
2. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
3. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
4. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रीक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
5. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. रुफटॉप कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
8. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
10. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
11. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे।
12. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
13. अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि अनुसार होगी। अन्तिम तिथि पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा उसे आवेदक द्वारा पुनः नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिंशा पत्र निरस्त माना जाएगा।
16. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
17. यह प्रमाण पत्र स्वामित्व व कब्जे का दस्तावेज नहीं है।



  
Principal  
Kishori International School  
Chirawa(JJN)Raj.-333026

Signed by: Rohit Kumar Meel  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: CHIRAWA, Rajasthan  
Date: 26/12/2024 16:44:45

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, चिडावा